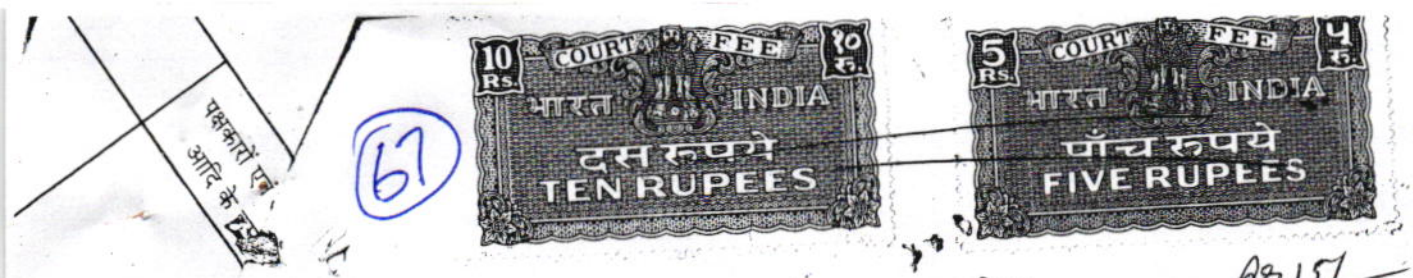

व अदालत राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश।

R-10-I/08

1. पुनिया बाई बेवा पत्नी स्व. रामस्वरूप गुप्ता ।

2. कामता प्रसाद तनय रामस्वरूप गुप्ता ।

3. अमरनाथ तनय रामस्वरूप गुप्ता ।

तीनों निवासी ग्राम - लटागांव तहसील मैहर जिला-सतना म0प्र0 :--

:- -- निगराकार गण,

//बनाम//

1. रामप्रसाद तनय स्व. लुल्ला गुप्ता उम्र 65 साल पेशा खेती निवासी ग्राम लटागांव तहसील मैहर जिला-सतना म. प्र. ----गैरनिगराकार,

विषय:- निगरानी विरूद्ध आदेश अतिरिक्त आयुक्त महोदय रीवा के रा. प्र. क्र. 773/अपील/05-06 आदेश दिनांक -17. 12. 2007

निगरानी जेर दफा- 50 म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 ई. ।

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम लटागांव की आराजी नं. 638 /1 , 641, 642, 732, 734/1, 1851, 2636/637, 1724, [illegible] व 2662/637., 2663/637 निगराकार एवं गैरनिगराकार गणों की पुस्तैनी आराजियां है। जिसमे 1/2 [illegible] गणों का अर्थात स्व. रामस्वरूप गुप्ता का एवं 1/2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 10–एक/2008 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
17–8–2016	उभय पक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि दिनांक 19–11–81 के नामांतरण आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा लगभग 23 वर्ष पश्चात अर्थात 19–2–04 को अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने इतने लम्बे विलम्ब से प्रस्तुत अपील पर म्याद के बिन्दु पर किसी प्रकार कोई निष्कर्ष न निकालते हुये गुण–दोष के आधार पर निराकरण करने में त्रुटि की थी। एक ही परिवार के सदस्य होने से नामांतरण आदेश की जानकारी 23 वर्ष तक न होना संदेहास्पद है। इसी कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई है। समयावधि के बिन्दु पर दिन प्रति दिन विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। इस प्रकरण में 23 वर्ष के लम्बे विलम्ब के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अपर आयुक्त द्वारा विधिसम्मत नहीं मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0सी0 जैन) सदस्य	